

उच्च न्यायालय मध्य प्रदेश, मुख्यपीठ जबलपुर

// आदेश //

क्रमांक C/1744 /

जबलपुर, दिनांक 21/04/2017

श्री कमलेश पाठक पिता श्री रामगोपाल पाठक को मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय के आकस्मिकता निधि से वेतन पाने वाले दैनिक वेतन भोगी कर्मचारी की भर्ती एवं सेवा शर्तें नियम 1976 के नियम 7(2)(एक) के अंतर्गत आकस्मिकता निधि से वेतन पाने वाले दैनिक वेतन भोगी कर्मचारी के पद पर, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, खंडपीठ इंदौर की स्थापना पर जिलाध्यक्ष इंदौर द्वारा निर्धारित दर पर, कार्यभार ग्रहण करने की दिनांक से नियुक्त किया जाता है। उनकी सेवायें कभी भी बिना नोटिस या कारण बताये समाप्त की जा सकेंगी। यह नियुक्ति माननीय न्यायाधिपति श्री राजीव कुमार दुबे महोदय की सेवा अवधि तक के लिये (Co-terminus basis) की जाती है।

माननीय मुख्य न्यायाधिपति महोदय
(के आदेशानुसार)

सही/-

(मो. फहीम अनवर)
रजिस्ट्रार जनरल


पृ.क. C/1745 /

जबलपुर, दिनांक 21/04/2017

प्रतिलिपि:-

1. प्रिंसिपल रजिस्ट्रार, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, खंडपीठ इंदौर(म.प्र.),
2. रजिस्ट्रार प्रशासन/कम-पीपीएस, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर,
3. विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी(लेखा), उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर,
4. ज्वाईंट रजिस्ट्रार (प्रोटोकॉल), उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश जबलपुर,
5. डिप्टी रजिस्ट्रार(समस्त), उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश जबलपुर,
6. कोर्ट मैनेजर, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर/खंडपीठ इंदौर,
7. असिस्टेंट रजिस्ट्रार....., उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर,
8. अनुभाग अधिकारी, स्थापना, उच्च न्यायालय म.प्र. जबलपुर,
9. माननीय न्यायाधिपति श्री राजीव कुमार दुबे महोदय के निजी सचिव, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश खंडपीठ इंदौर, इंदौर (म.प्र.)
10. रजिस्ट्रार जनरल महोदय के निजी सचिव, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर
11. सहायक स्थापना, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर,
12. दो अतिरिक्त प्रति सहित आफिस टायपिस्ट, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर,
13. श्री कमलेश पाठक पिता श्री रामगोपाल पाठक, बी/2, शाहिन नगर, मुसाखेड़ी इंदौर(म.प्र.),

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।


(चन्द्रेश कुमार खरे)
रजिस्ट्रार (प्रशासन)